राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

Azadi Ka Amrit Mahotsav

अति आवश्यक

क्रमांकः एफ 61(196)SSAAT /मानदेय का गलत भुगतान/पं.स.–बाप/2022/8729 जयपुर,,दिनांक 11/07/22
जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जोधपुर।

विषयः–पंचायत समिति, बाप, जिला जोधपुर के अन्तर्गत पाये गये संदिग्ध भुगतानों के संबंध में।
संदर्भः–इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 8216 दिनांक 08.06.2022 एवं 8380–82 दिनांक 20.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के बैंक खाता संख्या– 38872762396 से सामाजिक अंकेक्षण कर रहे संसाधन व्यक्तियों के मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर में किये गये ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के जनवरी 2021 से जून 2022 तक के भुगतानों की समीक्षा में यह ध्यान में आया है कि दो, Beneficiary account number 83069689367 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक तथा Beneficiary account number 61165954636 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, में रूपये 941000/– का भुगतान अलग–अलग Beneficiary के नामों से किया गया है। जिन्हें सोसायटी ने संदिग्ध भुगतान माना है, जिसका विवरण पत्र आपको पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। उक्त भुगतान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 22 (1) के अंतर्गत संदिग्ध गबन की श्रेणी का है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के उक्त नियम के अनुसार ''ऐसे मामलों में, जहां हानि अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों की अपचारिता के कारण हुई हो एवं जहां यह प्रतीत होता हो कि यह हानि उच्चतर अधिकारियों की ओर से पर्यवेक्षण में शिशिलता बरतने के कारण हुई है तो उच्चतर अधिकारी से भी जवाब मांगा जायेगा तथा मामले में उसकी वैयक्तिक दैयता को निर्धारित किया जायेगा।'' साथ ही नियमानुसार अनुशानिक कार्यवाही करने तथा दोषी व्यक्तियों से हुई हानि की सम्पूर्ण राशि को वसूल करने तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी से अप्रत्यक्ष रूप से वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान नियमों में है।

इस संबंध में पंचायत समिति बाप द्वारा दिनांक 01.01.2021 से 07.06.2022 तक किये गये मानदेय भुगतानों की जांच हेतु एक कमेटी का गठन कर प्रकरण की विस्तृत जांच जिला परिषद स्तर से करवाये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को निर्देशित किया जाकर, जांच रिपोर्ट सात दिवस में चाही गयी थी, किन्तु अभी तक भी प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम पार्ट 1 के नियम 22 (1) एवं परिशिष्ट 3 के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दोषी के विरूद्ध थाने में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा कर प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट अविलंब इस कार्यालय को प्रेषित करें।

के.के. पाठक
(शासन सचिव)
ग्रामीण विकास विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 61(196)SSAAT /मानदेय का गलत भुगतान/पं.स.–बाप/2022/8730-31 जयपुर,,दिनांक 11/07/22
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण की विस्तृत जांच अविलंब करा कर जांच रिपोर्ट में पाये गये दोषी कर्मचारी एवं अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करायें।
2. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है प्रकरण में व्यक्तिशः रूचि लेकर संदिग्ध भुगतानों की जांच करते हुए रिपोर्ट अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित करते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से इस कार्यालय को अविलंब अवगत कराये।

(संदीप चौहान)
निदेशक (SSAAT)